

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या. 46 /2022)

तत्काल प्रकाशन के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने "सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र जारी किया

नई दिल्ली, 21 जुलाई 2022- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज "सामुदायिक रेडियो स्टेशनों से संबंधित मुद्दों" पर एक परामर्श पत्र (सीपी) जारी किया है।

2. सामुदायिक रेडियो स्टेशन (सीआरएस) अपने दर्शकों की दिन-प्रतिदिन की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक स्थानीय और अच्छी तरह से परिभाषित समुदाय की सेवा करता है और उनकी विशिष्ट जानकारी और मनोरंजन की जरूरतों को पूरा करता है। सरकार ने दिसंबर 2002 में सीआरएस की स्थापना के लिए अनुमति देने के लिए अपनी नीति की घोषणा की, जिसमें आईआईटी / आईआईएम सहित अच्छी तरह से स्थापित शैक्षणिक संस्थानों को सीआरएस स्थापित करने की अनुमति दी गई। विकास और सामाजिक परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर नागरिक समाज द्वारा अधिक से अधिक भागीदारी प्राप्त करने के लिए, सरकार ने 4 दिसंबर 2006 को सीआरएस के लिए एक संशोधित नीति की घोषणा की जिसे 2017 में विधिवत संशोधित किया गया है।

2. एमआईबी ने अपने संदर्भ दिनांक 11.11.2021 और 17.01.2022 द्वारा प्राधिकरण से निम्नलिखित मुद्दों पर भादूविप्रा अधिनियम, 1997 की धारा 11(1)(ए)(ii) और 11(1)(डी) के तहत अपनी अनुशंसाएं प्रदान करने का अनुरोध किया :

- (i) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत गैर-लाभकारी कंपनियों को पात्र संगठनों की सूची में शामिल करना

- (ii) अनुमति अवधि को मौजूदा 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष करना
- (iii) सीआरएस पर प्रसारण के प्रति घंटे विज्ञापन की अधिकतम अवधि
- (iv) संचालन के प्रत्येक जिले में गैर-लाभकारी संगठनों, जो कई जिलों में संचालित हो रहे हैं, द्वारा संचालित सीआर स्टेशनों की संख्या।

3. तदनुसार, सीआरएस से संबंधित मुद्दों पर हितधारकों की टिप्पणियों/विचारों को प्राप्त करने के लिए परामर्श पत्र तैयार किया गया है। परामर्श पत्र पर 17 अगस्त 2022 तक हितधारकों से लिखित टिप्पणियां आमंत्रित की जाती हैं। प्रति टिप्पणियां, यदि कोई हो, 31 अगस्त 2022 तक प्रस्तुत की जा सकती हैं। टिप्पणियां और प्रति-टिप्पणियां ईमेल आईडी advbcs-2@traigov.in तथा jtadvbcs-1@traigov.in पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में भेजी जा सकती हैं।

4. किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अनिल कुमार भारद्वाज, सलाहकार (बी एंड सीएस) से दूरभाष क्रमांक +91-11-23237922 पर संपर्क किया जा सकता है।

5. परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.traigov.in पर उपलब्ध है।

(वी. रघुनंदन)
सचिव, भादूविप्रा